



Neutral Citation No.-2026:AHC:64670-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 11661 वर्ष 2026

श्रीमती उमा देवी और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अचल सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी गई; श्री एफ.ए. अंसारी, विद्वान राज्य-प्रतिवादियों के स्थायी अधिवक्ता और श्री अचल सिंह, विद्वान प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह रिट याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है। प्रमुख राहते।

"क. दिनांक 2.1.2026 को प्रतिवादी संख्या 2 जिला मजिस्ट्रेट, जिला कौशांबी द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द करने के लिए रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया है, अर्थात् उचित मुआवजे और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, क्योंकि अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत आज तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, अर्थात् उचित मुआवजे और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 8)

ख. परमादेश के रूप में रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं की भूमि पर चल रहे खदंजा के निर्माण को रोकें, अर्थात् घाटा संख्या 54 जिसका क्षेत्रफल है 1.104 हेक्टेयर ग्राम ममई परगना एवं तहसील में स्थित है राजापुर, जिला चित्रकूट अवैध एवं मनमाने ढंग से।

सी. याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त भूमि पर अवैध और मनमाने ढंग से, अधिग्रहण अधिनियम की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश देने वाला परमादेश आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

3. विचाराधीन रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने पहले इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग रिट याचिका संख्या 38026/2025 (श्रीमती उमा देवी और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव (गृह मामलों) के माध्यम से) के द्वारा किया था। इस याचिका

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का निस्तारण समवर्ती पीठ ने दिनांक 6.11.2025 के आदेश द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ किया था।

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह की बात सुनी गई।
2. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका है, जिसमें याचिकाकर्ता अपनी भूमिधारी भूमि पर कथित रूप से अवैध सड़क निर्माण से व्यथित है।
3. मामले पर विचार करने और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस मामले का निस्तारण जिला मजिस्ट्रेट (जो यहां प्रतिवादी संख्या 2 हैं) द्वारा शीघ्रता से किया जाना आवश्यक है।
4. तदनुसार, हम जिला मजिस्ट्रेट (जो इस मामले में प्रतिवादी संख्या 2 हैं) को निर्देश देते हैं कि वे उस भूमि के स्वामित्व का निर्णय करें जिस पर सड़क का निर्माण हो रहा है और यह निर्धारित करें कि क्या भूमि याचिकाकर्ता की है या ग्राम सभा की, याचिकाकर्ता और ग्राम सभा के प्रतिनिधि को उचित सुनवाई प्रदान करने के बाद, दिनांक से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर।
5. चूंकि मामला अत्यंत अत्यावश्यक है और सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, हम निर्देश देते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय पारित होने तक सड़क का निर्माण रोक दिया जाए।
6. याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ रिट याचिका की फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अभ्यावेदन के रूप में माना जाएगा।
7. उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ताओं के दावे का निर्णय करते समय विधि में त्रुटि की है और विवादित आदेश पारित करते समय अत्यंत मनमाने ढंग से निर्णय दिया है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अतः विवादित आदेश को इस न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (संक्षेप में "अधिनियम, 2013") के तहत पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने मांगी गई राहतों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि दिनांक 6.11.2025 के रिट-सी संख्या - 38026/2025 के आदेश के जवाब में, जिला मजिस्ट्रेट ने एक विस्तृत आदेश पारित किया है जिसमें राजस्व टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निष्कर्ष दिया गया है। यद्यपि पूर्ववर्ती रिट याचिका पर जोर देते समय, याचिकाकर्ताओं के पास जोतों के सीमांकन का प्रभावी उपाय था, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (संक्षेप में "संहिता 2006") की धारा 24 के तहत अपनी जोतों के वास्तविक सीमांकन के लिए कभी जोर नहीं दिया। बाद में उक्त आवेदन पर जोर देने का प्रयास किया गया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि यदि याचिकाकर्ताओं ने संहिता 2006 के तहत मंच का सहारा लिया होता, तो निश्चित रूप से, उन्हें नियमित कार्यवाही में उचित राहत मिलती। उन्होंने आगे कहा कि संहिता 2006 के तहत फोरम का आह्वान करने के बजाय, एकतरफा आदेश के आधार पर मनमाने ढंग से, उन्होंने सड़क के निर्माण पर रोक लगाने में सफलता प्राप्त कर ली है, जो कि सार्वजनिक उद्देश्य का काम है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अध्ययन किया। हमने पाया कि विवादित आदेश राजस्व टीम द्वारा 24.12.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। इस स्तर पर, हम विवादित आदेश पारित करते समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई टिप्पणियों पर टिप्पणी करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, हम उम्मीद करते हैं कि संहिता 2006 के तहत कार्यवाही, जो विचाराधीन बताई जा रही है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 2.1.2026 के आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, कानून के अनुसार शीघ्रता से निस्तारित किया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संहिता 2006 के तहत कार्यवाही लंबित रहने के दौरान संबंधित सड़क का निर्माण बाधित नहीं होगा।

7. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

28 मार्च, 2026

ए.के. श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।